


कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-लखनऊ मार्ग किमी0 267 से 268 के मध्य नियो स्टार रियेलटी प्रा0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे ओम रेसिडेन्सी कॉलोनी के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.4368 हे0 संरक्षित वन भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की जानकारी के अभाव में किया गया। वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार दण्ड स्वरूप अधिरोपित धनराशि अदा करने की वचनबद्धता व्यक्त की जाती है।

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Director